[2018] 10 एस. सी. आर 871 ए

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम

आशालता भौमिक और ओआरएस। (2018 की सिविल अपील No.9100) 31 अगस्त, 2018

/

[एन**.** वी**.** रमना और एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-घातक दुर्घटना-अपना वाहन चलाते समय पीड़ित एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई-दावा याचिका यू/एस।166 – न्यायाधिकरण ने Rs.10,57,800/- का मुआवजा प्रदान किया-उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे को बरकरार रखा-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:दुर्घटना मृतक के कठोर और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी-दुर्घटना में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था-मृतक स्वयं दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था-मृतक उल्लंघनकारी वाहन का मालिक होने के नाते अधिनियम के अर्थ के भीतर तीसरा पक्ष नहीं था-एक दावेदार अपनी गलती या लापरवाही के आधार पर दावा नहीं कर सकता है-इस प्रकार, मृतक के एल. आर. होने के नाते उत्तरदाता दावा याचिका को यू/एस. बनाए नहीं रख सकते थे।166 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत -हालाँकि, बीमा अनुबंध के अंतर्गत मृतक की व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए मुआवजे की सीमा रु. 2,00,000 तक सीमित कर दी गई है, इसलिए उत्तरदाता मुआवजे के लिए उक्त राशि के हकदार हैं।

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** यह एक स्वीकृत प्रश्न है कि मृतक वाहन का मालिक**-**सह**-**चालक था। दुर्घटना मृतक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी।दुर्घटना में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था।मृतक स्वयं दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था।मृतक**,** उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक होने के नाते**,** अधिनियम के अर्थ के भीतर कोई तीसरा पक्ष नहीं था। मृतक उतावलापन और लापरवाही से गाड़ी चलाने की अपनी ही कार्रवाई का शिकार हुआ था।एक दावेदार**,** अपनी गलती या लापरवाही के आधार पर दावा नहीं कर सकता है और तर्क देता है कि भले ही वह खुद अपनी लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का

कारण बना हो**,** फिर भी वह बीमा कंपनी से इसके लिए भुगतान करने के लिए कह सकता है। इसलिए**,** उत्तरदाता मृतक के एल**.** आर**.** हो सकते हैं

/

/

/

871

872 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 10 एस. सी. आर.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा **166** के अंतर्गत दायर दावा याचिका को बनाए नहीं रखा है। **[**पैरा **7] [874-**बी**-**डी**]**

2. उच्च न्यायालय अपीलार्थी**/**बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देना उचित नहीं था।चूंकि मृतक की व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए दी गई क्षतिपूर्ति रुपये तक सीमित है। **2,00,000-**बीमा अनुबंध के अंतर्गत **,** उत्तरदाता मुआवजे के लिए उक्त राशि के हकदार हैं।इसलिए**,** अपीलार्थी को रुपये की उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। **2,00,000-9** प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ।**[**पैरा **9] [875-**ए**-**बी**]**

/

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामझूमा साहा (श्रीमती) और अन्य।

/

(2007) 9 एससीसी **263:[2007] 1** एस**.** सी**.** आर**. 979-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2007] 1 एससीआर **979**

संदर्भित

पैरा **8**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2018 की सिविल अपील संख्या 9100।

/

2015 के एम. ए. सी. ए. पी. सं. 25 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय , अगरतला के दिनांक 15.03.2017 के निर्णय और आदेश से।

रंजन कुमार पांडे के लिए के. के. भट, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।सुश्री निधि, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे. 1.अनुमति दी गई।

2. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 15 मार्च, 2017 के एम. ए. सी. ए. पी. No.25/2015 के निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है, जिसमें अगरतला में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-बीमाकर्ता को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिए गए उत्तरदाताओं को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।3. पहला उत्तरदाता मृतक दिलीप भौमिक की माँ हैं।दूसरा प्रतिवादी उसकी पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 उसके बच्चे हैं।आई. डी. 1 को शाम करीब 7 बजे दिलीप भौमिक अपनी गाड़ी नं. टीआर-01-यू-0530।जब वे अगरतला रेलवे स्टेशन ए के पुल के पास पहुंचे

/

/

/

873

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामआशालता भौमिक और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

अमताली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बाईपास पर स्थित, वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसके व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं।उन्हें शुरू में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल, हपानिया ले जाया गया।इसके बाद उन्हें अगरतला के एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।दुर्घटना के समय उनकी आयु 43 वर्ष थी।उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि मृतक एक व्यापारी था और उसकी मासिक आय Rs.15,000/- थी।उन्होंने मुआवजे की राशि Rs.68,15,000/- की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की।अपीलार्थी-बीमाकर्ता ने दावा याचिका का विरोध किया था। न्यायाधिकरण ने एक पुरस्कार पारित किया जिसमें कुल मुआवजे के रूप में रु। 10,57,800-।

/

4. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय को मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि मृतक स्वयं उल्लंघनकारी वाहन का मालिक-सह-चालक था।वह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अर्थ में कोई तीसरा पक्ष नहीं था।यह

दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण हुई थी।इसलिए, अपीलार्थी, वाहन का बीमाकर्ता होने के नाते, मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

/

/

5. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मृतक कोई तीसरा पक्ष नहीं था और दुर्घटना उल्लंघन करने वाले वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को एक शर्त के साथ मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया कि उक्त आदेश को पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा।बीमा पॉलिसी के अवलोकन पर, उच्च न्यायालय ने आदेश के दौरान कहा कि मालिक-सह-चालक की व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए दी गई क्षतिपूर्ति रुपये की सीमा तक सीमित थी।इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार हैः

/

"जैसा कि दावेदार-प्रत्यर्थियों द्वारा यह स्थापित किया गया है कि व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया था, बीमा कंपनी उक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही यह दावेदार-प्रत्यर्थियों को रु. 2,00,000 तक सीमित हो।हालाँकि, मुआवजे के निर्धारण के खिलाफ कोई चुनौती नहीं है। "

/

/

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मृतक स्वयं उल्लंघनकारी वाहन चला रहा था और दुर्घटना का कारण बना।दुर्घटना में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था।उसे तीसरे पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर दावा याचिका विचारणीय नहीं थी।नज़र में

/

इस निष्कर्ष के अनुसार, उच्च न्यायालय अपीलार्थी को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देना उचित नहीं था।दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश को सही ठहराने की कोशिश की है।

7. हमने बार में किए गए विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।यह एक स्वीकृत प्रश्न है कि मृतक वाहन का मालिक-सह-चालक था।दुर्घटना मृतक द्वारा वाहन को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। दुर्घटना में कोई अन्य वाहन शामिल नहीं था।मृतक स्वयं दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था।मृतक, उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक होने के नाते, अधिनियम के अर्थ के भीतर कोई तीसरा पक्ष नहीं था। मृतक जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने की अपनी ही कार्रवाई का शिकार हुआ था।एक दावेदार, हमारे विचार में, अपनी गलती या लापरवाही के आधार पर दावा नहीं कर सकता है और तर्क देता है कि भले ही वह खुद अपनी लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का कारण बना हो, फिर भी वह बीमा कंपनी से इसके लिए भुगतान करने के लिए कह सकता है।इसलिए, मृतक के एल. आर. होने के नाते प्रतिवादी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दायर दावा याचिका को बनाए नहीं रख सकते थे।

/

/

/

8. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय ।झूमा साहा

(श्रीमती) और ओआरएस। (2007) 9 एस. सी. सी. 263, एक ऐसे ही मामले पर विचार कर रहा था जहाँ मालिक स्वयं वाहन चला रहा था जो उसकी लापरवाही के कारण सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।न्यायालय ने माना कि उनके एल. आर. द्वारा दायर दावा याचिका विचारणीय नहीं थी।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः-

/

“10. मृतक वाहन का मालिक था।दावा याचिका में बताए गए कारणों या अन्यथा, दुर्घटना के लिए उन्हें स्वयं दोषी ठहराया जाना था।दुर्घटना में उस वाहन के अलावा कोई अन्य मोटर वाहन शामिल नहीं था जिसे वह चला रहा था।विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि मृतक स्वयं लापरवाही बरत रहा है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका विचारणीय होगी।

/

11. बीमाकर्ता कंपनी की देयता प्रत्यर्थी या घायल व्यक्ति, किसी तीसरे व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की सीमा तक है।इस प्रकार, यदि बीमित व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी दायित्व के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो बीमाकर्ता के बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

/

/

875

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनामआशालता भौमिक और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

/

9. इसलिए, उच्च न्यायालय अपीलार्थी/बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देना उचित नहीं था।चूंकि मृतक की व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए दी गई क्षतिपूर्ति रुपये तक सीमित है। 2,00,000-बीमा अनुबंध के अंतर्गत , उत्तरदाता मुआवजे के लिए उक्त राशि के हकदार हैं।इसलिए, अपीलार्थी को रुपये की उक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। 2,00,000-आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर दावा याचिका की तारीख से न्यायाधिकरण में जमा करने की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।
10. अपील की अनुज्ञात उपरोक्त शर्तों में लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना दी जाती है।

/

/

अंकित ज्ञान की अपील को अनुज्ञात गई।

/

/

/

/

/